भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
क्रय एवं भंडार निदेशालय
Directorate of Purchase & Stores

सत्यमेव जयते

दूरभाष / Tel : 022-2548 6135
टेलीफैक्स / Fax : 022- 2556 6754
ई – मेल / Email : dd2@dpsdae.gov.in
विक्रम साराभाई भवन / Vikram Sarabhai Bhavan
अणुशक्ति नगर / Anushaktinagar
मुंबई / Mumbai 400094.

<u>सूचना</u>

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति

एवं

वार्षिक प्रापण योजना

1.0 प्रापण प्रोफाइल

क्रय और भंडार निदेशालय द्वारा किए जाने वाले प्रापण, परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न अनुसंधान और विकास इकाइयों एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए किए जाते हैं । विभिन्न प्रकार के उपकरणों, यंत्रों, साधनों, कच्ची सामग्री, उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि का प्रापण नियमित रूप से किया जाता है ।

2.0 प्रापण योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'सूक्ष्म और लघु उद्यम (एम.एस.ई) के लिए प्रापण नीति आदेश 2012 के अनुसार, हम क्रभनि की निविदाओं में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करते हैं । क्रय करते समय अ.जा/अ.ज.जा उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में दिए अनुसार वरीयता दी जाएगी ।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से माल और सेवाओं के प्रापण के लिए क्रय और भंडार निदेशालय (क्रभनि) की योजना निम्नानुसार है :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्रतिभागिता उपलब्ध होने पर तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के विनिर्देशनों को पूरा करने के अधीन, न्यूनतम 20 % का वार्षिक प्रापण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से करने का लक्ष्य प्राप्त करना । इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 4 % प्रापण करना शामिल है ।

सभी संबंधित नोट करें कि इस संबंध में सभी भावी अधिसूचनाएं केवल क्रभनि वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएंगी और सभी विक्रेता क्रभनि वेबसाइट देखा करें ।

<u>2.1 सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार एमएसई को निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं :</u>

2.1.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज नि:शुल्क दिए जाते हैं और उन्हें पेशगी धन जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट प्राप्त है ।

2.1.2 निविदा में यदि L1 कीमत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर किसी अन्य द्वारा कोट की गई हो तो, निविदा में भाग लेने वाले उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भी, आवश्यकता के एक भाग की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने L1 + 15 % के कीमत बैंड के अंदर कीमत कोट की हो किन्तु उनके द्वारा कोट की गई कीमत L1 कीमत तक नीचे लाकर, उस कीमत पर उन्हें, यह आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी । सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा के कुल मूल्य के 20 % तक आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे, एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम होने की स्थिति में, आपूर्ति यथानुपात बँट जाएगी ।

2.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से प्रापण के लिए आरक्षित मदों का प्रापण उन्हीं से किया जाएगा । पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

2.3 किसी भी स्पष्टीकरण एवं अन्य कोई भी सूचना हेतु कृपया निम्न पते पर संपर्क करें :

उप निदेशक II
क्रय और भंडार निदेशालय, विक्रम साराभाई भवन
अणुशक्तिनगर, मुंबई – 400 094
फोन : 022 2548 6135, फैक्स : 022 2556 6754
ईमेल : dd2@dpsdae.gov.in